:: न्यायालय सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.) ::

पीठासीन अधिकारी	:	**श्रीमती दीपा गुर्जर, आर.जे.एस.** **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
दाण्डिक अपील संख्या	:	30/2022 (CIS N. 30/2022)
CNR N.	:	RJDG010005092022

सनेश्वर उर्फ सना पिता कानिया उम्र 42 वर्ष निवासी मुड़ासेल पुलिस थाना खमेरा जिला बांसवाड़ा (राज.)। **––अपीलार्थी/अभियुक्त––**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, डूँगरपुर। **––प्रत्यर्थी/अभियोजन––**

अपील विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक 18.04.2022 जो दाण्डिक मूल प्रकरण संख्या–216/2012 रे.फौ., (CIS N. 216/2012) सरकार/सनेश्वर उर्फ सना, अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में जयश्री मीणा, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, आसपुर जिला डूँगरपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री चन्द्रसिंह चुण्ड़ावत, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
2. श्री पुष्कर चौबीसा, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

:: निर्णय :: **दिनांक : 16.04.2026**

1. हस्तगत अपील अपीलार्थी/अभियुक्त सनेश्वर उर्फ सना की ओर से विद्वान न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय आसपुर जिला डूँगरपुर द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 18.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके माध्यम से अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा **279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता** के आरोपों में दोषसिद्ध करार देते हुए अपराध अंतर्गत **धारा 279 भा.दं.सं. में छह माह का साधारण कारावास व एक हज़ार रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का साधारण कारावास पृथक से, धारा 337 भा.दं.सं. में छह माह का साधारण कारावास व पाँच सौ रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड पन्द्रह दिन का साधारण कारावास पृथक से, धारा 338 भा.दं.सं. में दो वर्ष का साधारण कारावास व एक हज़ार रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का साधारण कारावास पृथक से तथा धारा 304ए भा.दं.सं. में दो वर्ष का साधारण कारावास व दो हज़ार रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाने** से दंडित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2012 को परिवादी गोतम पिता नाथू निवासी बोरपी पुलिस थाना खमेरा जिला बांसवाड़ा ने बमुकाम हॉस्पीटल निठाऊवा पर जबानी इत्तला इस आशय की दी कि आज सुबह करीब 5:00 बजे घर से वह व उसकी पत्नी

Authenticated Document

कंकू, परिवार की नाकू पत्नी मिठीया एवं सीता पत्नी नगजी वगैरा पैदल–पैदल डूगरीया रोड़ पर 5:20 A.M. पर आये। माताजी दर्शन करने आने के लिये वाहन का इन्तजार कर रहे थे, इतने में 5:30 A.M. पर मुड़ासर से एक जीप ड्राईवर चलाता हुआ लेकर आया, जीप में 8–9 लोग बैठे हुये थे। हाथ का ईशारा देकर जीप को रोका व गामड़ी आशापुरा माताजी दर्शन करने जाने के लिये बताया तो जीप में बैठे लोग भी गामड़ी आशापुरा माताजी दर्शन करने जाना बताया। उसकी पत्नी व उसके साथ की औरते जिनको जीप के अन्दर जगह मिली वो अन्दर बैठे बाकी वे जीप के ऊपर बैठे। जीप पूरी भर चुकी थी। ड्राईवर उनको बैठाने के बाद जीप को चलाता हुआ गामड़ी आशापुरा माताजी मंदिर के लिए रवाना हुआ। करीब 6:30 A.M. पर जीप को ड्राईवर तेज रफ्तार से चलाता हुआ लेकर आ रहा था। अचानक रोड़ के ढलान में ड्राईवर का जीप पर नियन्त्रण नही कर पाने से जीप रोड़ के किनारे पलटी खा गयी। पलटी खाने से जीप के ऊपर बैठे व्यक्ति दूर जा गिरे तथा जीप के अन्दर बैठे व्यक्तियों में से चार–पांच व्यक्ति जीप के नीचे दब गये। उसी समय निठाउवा गामड़ी की तरफ से बस पारसोला की तरफ जाने वाली आ गयी। बस में बैठी सवारियों ने जीप को ऊंचा कर जीप के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जिसमें से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। एक्सीडेण्ट से जीप में बैठे व्यक्तियों में से 8–9 को चोटें आयी है। यह घटना गामड़ी निठाऊवा से पारसोला की तरफ जाने वाले रोड़ पर करीब तीन किलोमीटर दूरी पर हुई है। उसी समय 108 एम्बुलेंस व पुलिस की जीप मौके पर आ जाने से उन्हें इलाज के लिए हॉस्पीटल पहुंचाया। यह घटना जीप चालक द्वारा जीप को तेज रफ्तार से चलाने से ढलान में जीप पर नियन्त्रण नही कर पाने से हुई है .....इत्यादि।"

3. उक्त रिपोर्ट पर एस.एच.ओ. के पृष्ठांकनशुदा कानि. मोहनलाल द्वारा पुलिस थाना निठाऊवा पर लाकर पेश करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान **अपीलार्थी/अभियुक्त सनेश्वर उर्फ सना** के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304A भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र विचारण न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय आसपुर में पेश किया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 338, 304A भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध की विशिष्टियां जरिये अभिभाषक मौखिक रूप से सुनायी जाकर विचारण किया गया। अभियोजन की ओर से विचारण न्यायालय में साक्ष्य में कुल 28 साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 27 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षित किया गया तथा उभयपक्ष को सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त को कारावासीय व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. बहस अपील सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Authenticated Document

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि घटना के सभी चश्मदीद साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हुये हैं जिनके द्वारा दुर्घटना अचानक सामने से ट्रक के आ जाने से जीप चालक द्वारा जीप को ट्रक से बचाने के लिये रोड़ से नीचे उतारने पर जीप का टायर फट जाने के कारण जीप के पलटी खा जाने से घटित होना बताया गया। किसी भी साक्षी का यह कथन नही रहा कि दुर्घटना जीप चालक की लापरवाही से घटित हुई हो। उक्त चश्मदीद साक्षीगण का स्पष्ट रूप से यह भी कथन रहा कि कथित दुर्घटना वाहन जीप में आयी तकनीकी खराबी के कारण घटित हुई। अतः स्पष्ट है कि दुर्घटना घटित होने में अपीलार्थी/अभियुक्त का कोई दोष नही रहा है। जीप के टायर के फट जाने से दुर्घटना घटित हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी चश्मदीद साक्षीगण की साक्ष्य का समुचित रूप से विवेचन न कर अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में विधिक त्रुटी कारित की गयी है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जावे।

7. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई त्रुटी नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सन्देह से परे साबित किया गया है। अन्त में अपील खारीज किये जाने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज की जावे।

8. हस्तगत अपील के निस्तारण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

> **"क्या दिनांक 23.09.2012 को समय करीब 6:30 ए.एम. पर मौजा चोर घाटी की ढलान में अपीलार्थी द्वारा जीप नंबर RJ 12 C 0444 में क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर जीप को तेज गति, गफलत, लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये जीप को पलटी खिला दी जिससे जीप में सवार लोग जीप से नीचे गिर गये तथा चार–पाँच लोग जीप के नीचे दब गये जिससे उनके शरीर पर साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुई तथा जीप सवार कानीया की जीप के नीचे दब जाने से मृत्यु हो गयी? ''**

9. उभयपक्ष को सुनकर अपील पत्रावली एवं विचारण न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय आसपुर की पत्रावली नंबरी फौजदारी संख्या–216/2012 का अवलोकन किया गया।

10. अपीलार्थी/अभियुक्त पर धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप थे, जिसे सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था और इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष 28 गवाहों को साक्ष्य में पेश कर परीक्षित करवाया गया है।

Authenticated Document

11. घटना की मौखिक सूचना घटना दिवस दिनांक 23.09.2012 को ही घटना के तुरंत पश्चात चश्मदीद साक्षी गोतम पिता नाथू जो वक्त दुर्घटना दुर्घटनाकारी वाहन में ही बैठा हुआ था, के द्वारा गवाह पी.डब्ल्यू–28 शक्तिसिंह तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना निठाउवा को बमुकाम हॉस्पीटल पर ही दी गयी जिसके द्वारा उक्त इत्तला जबानी प्रदर्श पी–6 लेखबद्ध की गयी जिसमें उक्त चश्मदीद साक्षी गोतम द्वारा यह बताया गया कि "आज सुबह करीब 5:00 बजे घर से वह, उसकी पत्नी कंकू व परिवार की नाकू पत्नी मिठीया एवं सीता पत्नी नगजी वगैरा पैदल–पैदल डूगरीया रोड़ पर 5:20 A.M. पर आये। वहां से आशापुरा माताजी दर्शन करने आने के लिये वाहन का इन्तजार कर रहे थे, इतने में 5:30 A.M. पर मुड़ासर से एक जीप ड्राईवर चलाता हुआ लेकर आया, जीप में 8–9 लोग बैठे हुये थे। हाथ का ईशारा देकर जीप को रोका व गामड़ी आशापुरा माताजी दर्शन करने जाने के लिये बताया तो जीप में बैठे लोग भी गामड़ी आशापुरा माताजी दर्शन करने जाना बताया। उसकी पत्नी व उसके साथ की औरते जिनको जीप के अन्दर जगह मिली वो अन्दर बैठे बाकी वे जीप के ऊपर बैठे। जीप पूरी भर चुकी थी। ड्राईवर उनको बैठाने के बाद जीप को चलाता हुआ गामड़ी आशापुरा माताजी मंदिर के लिए रवाना हुआ। करीब 6:30 A.M. पर जीप को ड्राईवर तेज रफ्तार से चलाता हुआ लेकर आ रहा था। अचानक रोड़ के ढलान में ड्राईवर का जीप पर नियन्त्रण नही कर पाने से जीप रोड़ के किनारे पलटी खा गयी। पलटी खाने से जीप के ऊपर बैठे व्यक्ति दूर जा गिरे तथा जीप के अन्दर बैठे व्यक्तियों में से चार–पांच व्यक्ति जीप के नीचे दब गये। उसी समय निठाउवा गामड़ी की तरफ से बस पारसोला की तरफ जाने वाली आ गयी। बस में बैठी सवारियों ने जीप को ऊंचा कर जीप के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जिसमें से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। एक्सीडेण्ट से जीप में बैठे व्यक्तियों में से 8–9 को चोटें आयी है। यह घटना गामड़ी निठाऊवा से पारसोला की तरफ जाने वाले रोड़ पर करीब तीन किलोमीटर दूरी पर हुई है। उसी समय 108 एम्बुलेंस व पुलिस की जीप मौके पर आ जाने से उन्हें इलाज के लिए हॉस्पीटल पहुंचाया। यह घटना जीप चालक द्वारा जीप को तेज रफ्तार से चलाने से ढलान में जीप पर नियन्त्रण नही कर पाने से हुई है। जीप मौके पर है। जीप को ड्राईवर मुड़ासन की तरफ से लेकर आ रहा था .....इत्यादि।"

12. घटना के उक्त चश्मदीद साक्षी पी.डब्ल्यू–7 गोतम द्वारा अपनी साक्ष्य में उक्त इत्तला प्रदर्श पी–6 की पुष्टि करते हुये उसका व उसके गाँव के अन्य लोगों का जीप में बैठकर माताजी जा रहे होना, उस समय दुर्घटना होना व दुर्घटना में उसे चोट आना, उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–5, कानूनी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 व घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पर उसका अंगुठा होना बताया है।

Authenticated Document

13. घटना के अन्य चश्मदीद साक्षीगण पी.डब्ल्यू–8 कमला, पी.डब्ल्यू–9 श्रीमती रूपा देवी, पी.डब्ल्यू–10 श्रीमती किरण, पी.डब्ल्यू–11 पवन, पी.डब्ल्यू–13 लक्ष्मण, पी.डब्ल्यू–14 श्रीमती सीता, पी.डब्ल्यू–15 श्रीमती कंकु, पी.डब्ल्यू–16 श्रीमती नानी देवी, पी.डब्ल्यू–17 श्रीमती नकू देवी, पी.डब्ल्यू–18 श्रीमती फुलरी देवी, पी.डब्ल्यू–20 बापुलाल व पी.डब्ल्यू–21 श्रीमती जमना जो वक्त दुर्घटना दुर्घटनाकारी वाहन जीप में ही बैठे थे, सभी के द्वारा अपनी साक्ष्य में दुर्घटना उक्त वाहन से घटित होना जिससे उन्हें चोटें कारित होना व अन्य व्यक्ति कानिया की मृत्यु हो जाना बताया है तथा साक्षीगण पी.डब्ल्यू–14 श्रीमती सीता, पी.डब्ल्यू–15 श्रीमती कंकु, पी.डब्ल्यू–16 श्रीमती नानी देवी, पी.डब्ल्यू–17 श्रीमती नकू देवी व पी.डब्ल्यू–18 श्रीमती फुलरी देवी ने वक्त दुर्घटना वाहन चालक सनेश्वर उर्फ सना का होना बताया गया है। प्रतिपरीक्षा में भी उक्त साक्षीगण द्वारा वक्त दुर्घटना वाहन चालक सनेश्वर उर्फ सना होने के संबंध में किये गये कथनों का कोई खण्डन नही हुआ है।

14. गवाह पी.डब्ल्यू–25 कालुसिंह जो दुर्घटनाकारी वाहन जीप का पंजीकृत स्वामी है, के द्वारा अपनी साक्ष्य में कमाण्डर जीप आरजे 12 सीओ 444 से वर्ष 2012 में एक्सीडेण्ट होने से पुलिस थाना निठाउवा द्वारा उसे धारा 133 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–26 दिया जाना जिस पर ए से बी उसका जवाब होकर सी से डी उसके हस्ताक्षर होना बताया गया। धारा 133 एम.वी.एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी–26 के जवाब में उक्त कालुसिंह द्वारा उक्त वाहन संख्या–RJ 12 CO 444 का वाहन स्वामी होकर उसके नाम से रजिस्ट्रीकरण होना, उसके द्वारा यह गाड़ी सनेश्वर उर्फ सना पिता कानीया निवासी मुड़ासल को दलाल के मार्फत बेच देना व गाड़ी के कागजात भी दे दिये जाना बताया गया जिस पर प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी पी.डब्ल्यू–28 शक्तिसिंह द्वारा अभियुक्त सनेश्वर उर्फ सना को धारा 133 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–27 दिया गया। धारा 133 एम.वी.एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी–27 के जवाब में अभियुक्त सनेश्वर उर्फ सना द्वारा जीप नं. RJ 12 CO 444 करीब एक वर्ष पहले दलाल के मार्फत कालुसिंह पिता नवलसिंह निवासी गोहावाड़ा तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर से खरीदना, जब से जीप उसके पास होना तथा जीप को उसके द्वारा खूद ही चलाना, दिनांक 23.09.2012 को सुबह 6:30 A.M. पर पलटी खाकर एक्सीडेण्ट होना, उस वक्त जीप RJ 12 CO 444 को उसके स्वयं द्वारा चला रहा होना, जीप मुण्डासेल से आशापुरा माताजी गामड़ी उसके परिवार व रिश्तेदार को दर्शन कराने लेकर आ रहा होना, जीप उसके नाम ट्रांसफर कराने की कार्यवाही जारी होना, जिससे संबंधित कागजात रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस व उसके स्वयं का ड्राइवर लाईसेंस फोटो कॉपी पेश कर रहा होना बताया गया है। दुर्घटनाकारी वाहन जीप का उक्त पंजीकृत स्वामी कालुसिंह की साक्ष्य व धारा 133 एम.वी.एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी–26 व प्रदर्श

Authenticated Document

पी–27 से भी दुर्घटना वाहन जीप नंबर RJ 12 CO 444 से होना तथा वक्त दुर्घटना सनेश्वर उर्फ सना का उक्त वाहन का चालक होना परीलक्षित होता है।

15. अभियुक्त सनेश्वर उर्फ सना द्वारा बयान मुल्जिम में स्वयं का निर्दोष होना बताया गया है, परंतु वक्त दुर्घटना दुर्घटनाकारी वाहन जीप का स्वयं का चालक नही होने के संबंध में कथन नही किया है। उपरोक्तानुसार चश्मदीद साक्षीगण पी.डब्ल्यू–14 श्रीमती सीता, पी.डब्ल्यू–15 श्रीमती कंकु, पी.डब्ल्यू–16 श्रीमती नानी देवी, पी.डब्ल्यू–17 श्रीमती नकू देवी व पी.डब्ल्यू–18 श्रीमती फुलरी देवी की साक्ष्य व स्वयं अभियुक्त द्वारा धारा 133 एम.वी.एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी–27 के जवाब तथा वाहन स्वामी कालुसिंह की साक्ष्य से यह तथ्य निर्विवादित है कि वक्त दुर्घटना वाहन जीप नंबर RJ 12 CO 444 का चालक अभियुक्त सनेश्वर उर्फ सना ही था।

16. घटना के अन्य चश्मदीद साक्षीगण पी.डब्ल्यू–8 कमला, पी.डब्ल्यू–9 श्रीमती रूपा देवी, पी.डब्ल्यू–10 श्रीमती किरण, पी.डब्ल्यू–11 पवन व पी.डब्ल्यू–13 लक्ष्मण पक्षद्रोही घोषित हुये हैं, सभी ने अपनी साक्ष्य में सामने से एक ट्रक का आना, ट्रक वाले द्वारा रोड़ पर साईड़ नही देना, जीप द्वारा साईड़ देने पर जीप का टायर फट जाना जिससे जीप का पलटी खा जाना बताया गया है, परंतु घटना की चश्मदीद साक्षी पी.डब्ल्यू–14 सीता जो वक्त दुर्घटना दुर्घटनाकारी वाहन जीप में ही बैठी थी के द्वारा अपनी साक्ष्य में चालक द्वारा नशा कर रखना, रोड़ के साईड़ में दीवार होना, चालक द्वारा ले जाकर उससे गाड़ी टकरा देना, उसके बाद गाड़ी का पलटी खा जाना, जिससे दुर्घटना होना बताया गया है। इसी तरह साक्षी पी.डब्ल्यू–15 कंकु ने भी अपनी साक्ष्य में चालक द्वरा जीप को ले जाकर दीवार को टकराना, उसके बाद जीप का पलटी खा जाना बताया है। इसी प्रकार से साक्षी पी.डब्ल्यू–16 नानी ने भी साक्षीगण पी.डब्ल्यू–14 सीता व पी.डब्ल्यू–15 कंकु द्वारा दी गयी साक्ष्य की पुष्टि करते हुये चालक द्वारा शराब पी रखना, जीप को दीवार से टकराना फिर जीप का पलटी खा जाना बताया है। अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू–17 नाकु ने भी अपनी साक्ष्य में वाहन चालक सानिया द्वारा शराब पी रखना, चालक द्वरा गाड़ी को पहले दीवार से टकराना फिर गाड़ी का पलटी खा जाना बताया। इसी तरह के कथन साक्षी पी.डब्ल्यू–18 फुलरी ने भी अपनी साक्ष्य में किये है कि चालक ने गाड़ी को पहले दीवार से टकरायी फिर गाड़ी पलटी खा गयी। इस प्रकार उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से दुर्घटना उक्त वाहन के चालक की गलती व लापरवाही के कारण घटित होना प्रकट होता है।

17. गवाह पी.डब्ल्यू–26 मोहनसिंह एम.टी.ओ. द्वारा वाहन जीप नंबर आरजे 12 सी0444 का निरीक्षण करने पर उसमें किसी प्रकार की तकनीकी खराबी नही होना पाया। उक्त गवाह की साक्ष्य व इसके द्वारा तैयार मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 के

Authenticated Document

संयुक्त अवलोकन से वाहन जीप RJ 12 CO 444 में कोई तकनीकी खराबी न होना स्पष्ट होता है।

18. घटनास्थ्ल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 जो घटना का चश्मदीद साक्षी पी.डब्ल्यू–7 गोतम व अन्य साक्षीगण पी.डब्ल्यू–5 गोतमलाल व पी.डब्ल्यू–6 मोहनलाल की निशादेही से मुर्तिब किया गया, के अवलोकन से प्रकट होता है कि चोर घाटी पाल निठाउवा पारसोला से निठाउवा आने वाले मुख्य सिंगल रोड़ पर चोर घाटी की ढलान में जीप RJ 12 CO 444 पलटी खाई क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी होना जिसका रूख रोड़ छोड़ फुटपाथ पर दक्षिण–उत्तर कच्चे में खड़ी होना जो पारसोला की तरफ से सवारियां बैठायी हुई चालक का तेज गति से चलाता हुआ रोड़ के ढलान में जीप पर नियंत्रण नही रहने से एकदम पलटी खाकर गिर जाना, जीप पलटी खाने से खलासी साइड़ आगे की जीप पर बैठी सवारी पुरूष की जीप के नीचे दबने से मृत्यु हो जाना व जीप के अन्दर व ऊपर छत पर बैठे लोगों के चोटें आना, मौके पर जीप पलटी खाने के बाद नीचे दबी सवारियों को निकालने के लिये जीप को खड़ा किया जाना, घटना स्थान "A" सिंगल रोड़ होकर ढलान होना, ढलान में तेज रफ्तार जीप की होने से अचानक पलटी खाना, मौके पर फुटपाथ पर काफी खून बिखरा होकर मांस के टूकड़े बिखरे पड़े हुये होना तथा सवारियों के चप्पल–जूते फुटपाथ पर बिखरे पड़े हुये होना बताया गया है। उक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 से भी यह स्पष्ट होता है कि जीप के आगे अचानक किसी के आने पर ब्रेक लगाने जैसी कोई बात नही हुई इसी कारण मौके पर ब्रेक लगाने के निशान नही पाये गये तथा दुर्घटना स्वयं वाहन चालक अभियुक्त की गलती व लापरवाही से ही घटित हुई।

19. गवाह पी.डब्ल्यू–19 डॉ. पंकज द्वारा दिनांक 23.09.2012 को आहतगण लक्ष्मण, रूपा देवी, जमना, गौतमलाल, किरण, कंकु, नाकु, पवन, कमला, बापुलाल व नानी के चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श पी–14, प्रदर्श पी–16, प्रदर्श पी–19, प्रदर्श पी–5, प्रदर्श पी–10, प्रदर्श पी–17, प्रदर्श पी–18, प्रदर्श पी–12, प्रदर्श पी–7, प्रदर्श पी–20 व प्रदर्श पी–21 बनाये जाना व कानिया का पोस्ट–मॉर्टम कर रिपोर्ट प्रदर्श पी–22 तैयार किया जाना बताया गया। उक्त चिकित्सक की साक्ष्य व उक्त पोस्ट–मॉर्टम तथा चोट प्रतिवेदनों के संयुक्त अवलोकन से दुर्घटना में कानिया की मृत्यु हो जाना तथा अन्य व्यक्तियों को चोटें कारित होना प्रकट होता है।

20. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का दौराने बहस यह तर्क रहा कि घटना के चश्मदीद साक्षीगण पक्षद्रोही घोषितत हुये हैं जिनके द्वारा दुर्घटना अचानक सामने से ट्रक के आ जाने से जीप चालक द्वारा जीप को ट्रक से बचाने के लिये रोड़ से नीचे उतारने पर जीप का टायर फट जाने के कारण जीप के पलटी खा जाने से घटित होना बताया गया। उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नही है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित शेष अन्य

Authenticated Document

सभी चश्मदीद साक्षीगण द्वारा वक्त दुर्घटना अभियुक्त द्वारा नशा कर रखना, रोड़ के साईड़ में दीवार होना, चालक द्वारा ले जाकर उससे गाड़ी टकरा देना, उसके बाद गाड़ी का पलटी हो जाना जिससे दुर्घटना होना स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसके अलावा नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 से यह प्रमाणित हुआ है कि घटनास्थल पर सामने से कोई वाहन आया हो जिससे जीप को बचाने हेतु साईड़ में लिया हो जिससे टायर फट गया हो बल्कि दुर्घटनास्थल ढलान होकर ढलान में तेज रफ्तार से जीप का होने से अचानक पलटी खाना पाया गया है।

21. इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषणानुसार यह तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित होता है कि दिनांक 23.09.2012 को समय करीब 6:30 ए.एम. पर मौजा चोर घाटी की ढलान में अपीलार्थी द्वारा जीप नंबर RJ 12 C0 444 में क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर जीप को तेज गति, गफलत, लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये जीप को पलटी खिला दी जिससे जीप में सवार लोग जीप से नीचे गिर गये तथा चार–पाँच लोग जीप के नीचे दब गये जिससे उनके शरीर पर साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुई तथा जीप सवार कानीया की जीप के नीचे दब जाने से मृत्यु हो गयी। अतः पत्रावली पर आयी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किये जाने का जो निष्कर्ष निकाला है उसमें मेरी विनम्र राय में किसी प्रकार की कोई अवैधता नहीं है एवं दोषसिद्धी का निष्कर्ष पुष्ट किये जाने योग्य है।

22. दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।

23. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी गत लगभग तेरह साल से अन्वीक्षा भुगत रहा है। वर्तमान में वह मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। अतः अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाये। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इसका विरोध किया गया।

24. उभयपक्ष को सुनकर अभिलेख का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वाहन जीप में क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर जीप को तेजगति, गफलत व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये रोड़ के ढलान पर जीप को पलटी खिला दी जिससे जीप में सवार लोग जीप से नीचे गिर गये तथा चार–पाँच लोग जीप के नीचे दब गये जिससे उनके शरीर पर साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुई तथा जीप सवार कानिया की जीप के नीचे दब जाने से मृत्यु हो गयी। अतः अपीलार्थी द्वारा उक्त वाहन जीप को क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर तेज गति, गफलत व लापरवाहीपूर्वक चलाकर जीप को पलटी खिला देने से सवार लोगों के चोटें आने व कानिया की मृत्यु हो जाने के तथ्य

Authenticated Document

को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्ड को उचित मानते हुए उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील विरूद्ध दोषसिद्धी एवं दण्डादेश खारीज किये जाने योग्य है।

आदेश

25. परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त **सनेश्वर उर्फ सना पिता कानिया** उम्र 42 वर्ष निवासी मुड़ासेल पुलिस थाना खमेरा जिला बांसवाड़ा (राज.) द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध दोषसिद्धी व दण्डादेश दिनांक **18.04.2022** अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार की जाकर खारीज की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय आसपुर जिला डूँगरपुर द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पारित दोषसिद्धी एवं दण्डादेश दिनांक **18.04.2022** पुष्ट किया जाता है।

26. उपरोक्तानुसार दण्डादेश पुष्टिकरण का वारण्ट निर्मित किया जावे।

27. अपीलार्थी/अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त करते हुए उसे अभिरक्षा में लिया जाता है एवं दण्डादेश भुगतने हेतु कारागृह में भेजा जावे।

28. निर्णय की प्रति के साथ योग्य विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटायी जावे।

––sd––

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

––sd––

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

OM PRAKASH FALEJA

P.A. CUM E.A "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Digitally signed by OM PRAKASH FALEJA
Location: DJ COURT DUNGARPUR
Date: 2026.04.16 16:31:04 +0530

Authenticated Document